Witness No **13** for **अभियोजन साक्षी** Deposition taken

the **08.07.2019** day of Witness's apparent age **57 वर्ष**

States on affirmation **शपथ पूर्वक** my name is **सुरेन्द्र कुमार साहू**

son of **श्री इशुराम साहू** occupation **प्रधान आर. 624**

address **थाना तेलीबांधा, रायपुर**

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री एन.के.ठाकुर अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. वर्ष 2016 में प्रधान आरक्षक के पद पर मै महिला थाना रायपुर में पदस्थ था।

02. दिनांक 16.09.2016 को प्रार्थिया पूनम उर्फ पुर्वी पैकरा द्वारा अपने पति रोशनलाल पैकरा, ननद पूनम उर्फ मोनी, सास शैलेन्द्री एवं चिंताराम वर्मा के विरूद्ध दहेज के नाम पर मारपीट एवं गाली गुप्तार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने की लिखित शिकायत किये जाने पर मैने शून्य कायमी प्रथम सूचना पत्र धारा 498ए/34 भा0दं0सं0 दर्ज कर घटना धरसीवां थाना क्षेत्र का होने के कारण थाना धरसीवां प्रेषित किया था। शून्य कायमी प्रथम सूचना पत्र प्रपी–3 में ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

03. दिनांक 16.09.2016 को ही प्रार्थिया द्वारा महिला थाना में चार नग रंगीन फोटो व शादी का निमंत्रण कार्ड पेश किये जाने पर मैने उसे जप्त कर प्रपी–5 की जप्ती पत्रक तैयार किया था, जिसमें स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। मैने दिनांक 16.09.2016 को ही प्रार्थिया श्रीमती पूनम उर्फ पुर्वी पैकरा एवं दिनांक 17.09.2016 को साक्षी पवन वर्मा एवं श्रीमती बेला वर्मा का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था, अपने मन से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती अपर्णा दीवान अधि. वास्ते आरोपी रोशन, पूनम, शैलेन्द्री

03. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पवन वर्मा पुलिस विभाग में कार्यरत है। यह कहना गलत है कि पवन वर्मा के कहने पर मै पवन वर्मा के साथ मिलकर लिखित शिकायत प्रपी–2 टाईप करवाया था। यह कहना गलत है कि पवन वर्मा के साथ मिलकर झुठा केस बनाने के लिए प्रपी–2 की द्वितीय पृष्ठ में बाद में प्रविष्टि की गई है। यह कहना सहीं है कि प्रपी–5 में जप्त संपत्ति को प्रार्थिया स्वयं थाने लेकर आई थी। यह कहना गलत है कि प्रार्थिया के पिता पवन वर्मा के कहने पर मैने प्रपी–5 की संपत्ति को जप्त किया था। यह कहना गलत है कि साक्षियों के कथन को पवन वर्मा

स्वयं लिखकर लाया गया था, जिसें मेरे द्वारा मात्र हस्ताक्षर कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। यह कहना गलत है कि मै पवन वर्मा के साथ मिलकर आरोपीगण के विरूद्ध झुठे रूप से प्रपी–3 का प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विकास गुप्ता अधिवक्ता वास्ते आरोपी चिन्ताराम</u>

04. यह कहना सहीं है कि प्रपी–2 की लिखित शिकायत के विषय वाले प्रसंग में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में चिंताराम वर्मा का नाम नहीं है। साक्षी से पुछा गया कि किस आधार पर आरोपी चिंताराम के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था तो कहता है कि लिखित शिकायत में नाम होने के आधार पर।

प्रश्न – लिखित शिकायत में आरोपी चिंताराम के द्वारा प्रार्थिया ने अपने पति से उसका तलाक लेने के लिए समाज में आवेदन दिलवाने के विरूद्ध निवेदन किये जाने के आधार पर क्या धारा 498ए का अपराध बनता है ?

टीप :– किसी अपराध की परिभाषा के संबंध में विधिक प्रश्न साक्षी से नहीं पुछा जा सकता उसे दूसरे शब्दों में बचाव पुछ सकते है, इसलिए इस प्रश्न को पुछे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

05. यह कहना गलत है कि आरोपी चिंताराम के विरूद्ध धारा 498ए का अपराध नहीं बनता था किन्तु मैने प्रार्थिया के पिता और प्रार्थिया के साथ मिलकर झूठा रिपोर्ट दर्ज किया है। प्रार्थिया के पिता पुलिस में नौकरी करते है, इस बात की जानकारी प्रार्थिया के पिता का बयान लेते समय दूसरे दिन हुआ। यह कहना गलत है कि प्रार्थिया झुठी लिखित शिकायत जिस दिन दी थी, उसी दिन मुझे ज्ञात हो गया था कि प्रार्थिया के पिता पवन वर्मा पुलिस में सिपाही है। यह कहना गलत है कि मैने प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के पिता पवन वर्मा के कहने पर आरोपी चिंताराम के विरूद्ध झुठा प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था।

समय : 12:50 से 01:35 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर .....**सही/–**.....